प्रेस विज्ञप्ति

20/11/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 18.11.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान **लगभग 51.81 लाख रुपये के सावधि जमा और म्यूचुअल फंड ज़ब्त किए गए और 84 लाख रुपये मूल्य के सोने के सिक्के और बार के अलावा बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज़ भी ज़ब्त किए गए**।

ईडी ने सीबीआई, बीएसएंडएफबी, मुंबई द्वारा मेसर्स लीवे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, उसके निदेशकों और गारंटरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स लीवे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने अपने निदेशकों, गारंटरों और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से 167.5 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त की और धन के डायवर्जन, धन की राउंड ट्रिपिंग, असंबंधित पक्षों को भुगतान, एलसी का अनादर आदि के माध्यम से उक्त बैंकों को धोखा दिया और 2013 से 2016 की अवधि के दौरान बैंकों के संघ को 173.18 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया, जिसे 30.09.2016 को एनपीए घोषित कर दिया गया।

अब तक की जाँच से पता चला है कि मेसर्स लीवे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के निदेशक संजय सिन्हा ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर कंपनी के ऋण राशि को इधर-उधर पहुँचाने के लिए कई फर्जी संस्थाएँ बनाईं। इन निधियों का कथित तौर पर कंपनी का कारोबार बढ़ाने और बैंकों से अतिरिक्त ऋण सुविधाएँ हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, ऋण कोष की हेराफेरी के लिए, इन फर्जी संस्थाओं के खातों से भारी मात्रा में नकदी निकाली गई।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।